न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2020/00077(77/2020)

1. फूलाराम पुत्र रिछपाल जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. श्रीचन्द पुत्र रिछपाल जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. विनोद पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. सतवीर पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

—अपीलांटस

बनाम

1. मोहर सिंह पुत्र रिछपाल जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर
दिनांक 12.03.2020 प्रकरण संख्या 84/2018
अनवान मोहर सिंह बनाम फुलाराम आदि

उपस्थितिः—

श्री हवासिंह पुनिया, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.01.04 14:43:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 11.5.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के अन्तर्गत एक दावा पेश किया एवं दावा के साथ एक प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश किया, जिसमें कथन किया कि रोही मोजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर कुल 14.3650 हैक्टेयर भूमि में सायल 1/2 हिस्सा गैर सायल नं. 1 का 1/4 हिस्सा गैर सायल नं. 2 ता 4 ब.हि.ब 1/4 हिस्सा के खातेदार दर्ज है सायल एवं गैर सायलान अपने हक व हिस्सा की भूमि को काश्त करते आ रहे हं लेकिन भूमि का खाता व लगान मुश्स्तरका है जिससे लगान कास्त एवं सींव का झगड़ा रहता है इसलिए खाता विभाजन करवाना चाहते हैं। अब गैर सायलान सायल की भूमि पर काबिज होना चाहते हैं इसलिए गैरसालय के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। गैरसायल ने प्रार्थना–पत्र का विरोध किया एवं कथन किया कि रिकार्डेड खातेदार कास्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि दोनों पक्षों के कथनोंसे सबित है कि भूमि का बंटवारा किया हआ है उसी के अनुसार काबिज हैं एवे प्रस्तुत दस्तावेजों से भली भांति साबित होता है कि गैरसायल अपीलाट ने 2 ता 4 ने अपने बंटवारा में प्राप्त भूमि में सभी की सहमति से पानी की डिग्गी व कोठा का निर्माण किया हुआ है, इस बात पर कोई गौर नहीं किया गया। विवादित भूमि मुस्तरका खाते की हैरेस्पोडेण्ट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है कानूनी स्थिति के मुताबिक एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। किशनाराम पुत्र रिछपाल ने विवादति भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह तर्ककर दिया है इसलिए विवादत भूमि में उसका कोई हक हिस्सा नहीं है। दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नहीं है दस्तबरदारी से कोई हक तब्दील

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.01.04 14:43:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नहीं होते हैं ना ही किसी विशेष हकदार को कोई काश्तकारी हक हासिल होते है। प्रथम दृष्टाया मामला, सुविधा का सन्तुलन आर्थित क्षति अपीलाण्ट् के पक्ष में साबित हो हैं फिर भी उन पर कोई गौर नहीं किया गया है। मातहत अदालत ने सजिसाना तरीके से सिर्फ अपीलाण्ट को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्गनत भूमि में उसका प्रार्थना–पत्र में वर्णितानुसार हक हिस्सा है। उपरोक्त भूमि का खाता व लगान मुश्तर्का है और सायल व गैरसालान ने प्रश्नगत 14.3650 है0 भूमि का खाता व लगान मुश्तरका है उक्त खाते में काफी हिस्सेदार सह भागीदार होने के कारण भूमि काश्त की सीमाएं तथा अधिकारों के बाबत फरीकेन दावा में आपस में तनाजात रहते हैं और खेत में बनी डिग्गी कोठा को लेकर झगड़ा रहता है इसलिए सायल अपना उक्त भूम का खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त तक्सीम करवाकर अलग कायम करवाने के अधिकारी है सायल ने अपनी भूमि में काफी परिश्रम व सुधार कर उपजाउ बना रखा है और अपने खेत में पानी डिग्गी और कृषि उपकरण व सुविधा होतु कोठा बना रखा है। तथा मुश्तरका खाता के आधार पर गैरसायल उनके कब्जा कात की व सुधारी हुई भूमि पर काबिज होना चाहते हैं जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है, अपूर्णीय क्षति होती है। इसलिए विचारण न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया है विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर होना आवश्यक होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.01.04 14:43:27 IST
Reason: SelfAttested

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है विवादित भूमि खातेदारी की भूमि है , जिसमें सायल का 1/2 हिस्सा गैर सायल नं. 1 का 1/4 हिस्सा, गैर सायल नं. 2 ता 4 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। इस प्रकार अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट दोनों रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार हैं। बहस में आये तथ्यों के अनुसार पक्षकारों के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मध्य बाहमी बंटवारा कर लिया है। जब बाहमी बंटवारा हो चुका है तो एक दूसरी की भूमि में दखल दिया जाना उचित नहीं हे। मूल वाद अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें किस पक्षकार का कितना हक हिस्सा है यह मूल वाद में तय होना है। ऐसी स्थिति में उभयपक्ष के मध्य वाद की बहुलता न हो, उभयपक्ष के हक अधिकार सुरक्षित रहें, भूमि सुरक्षित रहे ऐसी स्थिति में स्थगन जारी किया उचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना समुचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.03.2020 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायलाय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.5.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/5/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.01.04 14:43:27 IST
Reason: SelfAttested